10134/11

राजस्थान सरकार
राज्य स्वास्थ्य समिति (एन0आर0एच0एम0)
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्र. स. एफ–20 (निविदा)/एनआरएचएम/एच0आर0डी0/10-11/1610 दिनांक: 17-11-11

निविदा सूचना

राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर के अधीन कार्यालय कार्य संचालन हेतु 58 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर्स की सेवायें सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2011 दिनांक 17.06.2011 एवं एफ.9(1)एफडी.1(1)बजट/2010 दिनांक 25.07.2011 के तहत ली जानी हैं। उक्त सेवाओं के निविदा फार्म, विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिवस से राज्य स्वास्थ्य समिति (एन.आर.एच.एम.) में 500 रूपये पोस्टल ऑर्डर/डी.डी. जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

भरे हुये निविदा दिनांक 21.12.2011 को अपरान्ह 3:30 बजे तक जमा करायी जा सकती हैं तथा उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। शेष शर्तें विभाग की वेबसाइड www.rajswasthya.nic.in एवं www.nrhmrajasthan.nic.in पर देखी जा सकती हैं।

परियोजना निदेशक
एन.आर.एच.एम.

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एनआरएचएम), राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर–302005
फोन नं. 2222723

राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति (एन.आर.एच.एम.) राजस्थान, जयपुर के तहत विभिन्न शाखाओं/विभागों में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर्स सेवाऐं सेवा प्रदाता एजेन्सी से लेने हेतु निविदा की शर्ते

1. एन.आर.एच.एम. में उपरोक्तानुसार विभिन्न सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु देय निविदा आमंत्रित हैं। सेवाओं के क्रम में एजेन्सी द्वारा कार्मिकों को निविदादाता द्वारा राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान देय होगा। निविदादाता को इन दरों की सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सिर्फ उनके द्वारा लिए जाने वाली सेवा शुल्क की राशि ही निविदा पत्र में अंको और शब्दों दोनों में पेन–स्याही से अंकित करंगे एवं इसमें कोई त्रुटी एवं /या उपरीलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रुप से अंकित की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। शुल्क का अंकन नही होने अथवा सशर्त प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. मिशन न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताए रद्द करने का पूर्ण अधिकार मिशन को होगा।
3. निविदा दाताओं को निविदा सूचना में दिये गए निर्देशानुसार निविदा उचित रुप से लिखकर मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करके लिफाफे पर "कम्प्यूटर मय ऑपरेटर्स की सेवाओं हेतु निविदा प्रपत्र" अंकन के साथ कोने पर निविदा दाता अपना पूर्ण पता लिखेंगे।
4. फर्म जिनका पिछले वर्ष का वित्तिय टर्नओवर 20 लाख या उससे अधिक का हो एवं एक कार्याआदेश मैं 25 से ज्यादा कार्मिकों की सेवा उपलब्ध करवाने का अनुभव रखना चाहिये। जिसके प्रमाण संलग्न करने होंगे।
5. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा दाता को बयाना राशि (Earnest Money) के रुप में रु0 15,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार) रुपये की राशि, राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रुप में जमा करानी होगी। निविदा/अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि मिशन द्वारा लौटा दी जाएगी अथवा बयाना राशि में समायोजित करांया जा सकता है।
6. निविदा सीलबंद लिफाफे में दिनांक 21–12–2011 को अपरान्ह 03.30 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय में जमा कराई जा सकती हैं। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदाएं, विभागीय समिति के समक्ष अथवा परियोजना निदेशक द्वारा दिनांक 21–12–2011 को अपरान्ह 04.00 बजे खोली जावेंगी। जिसमें निविदाकर्त्ता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
8. निविदादाता फर्म को राजस्थान श्रम विभाग से ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1970/राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से सेवा कर के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। विगत दो वर्षो का आयकर विवरणी अथवा अंकेक्षित लेखे एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। निविदादाता फर्म के पास आयकर विभाग का TAN नम्बर होना चाहिए।
9. अपूर्ण एवं वांछित सूचनाओं के अभाव में निविदाओं को निरस्त/रद्द कर दिया जाएगा।

10. सेवा आपुर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वे निर्धारित योग्यताधारी होने चाहिए। राज्य/केन्द्र सरकार राजकीय उपक्रम से सेवानिवृत कर्मियों की स्थिति में अधिकतम उम्र सेवा 65 वर्ष होगी।

11. निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तो के विपरीत अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त मिशन को मान्य नहीं होगी। निविदा में दरों के साथ भी कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

12. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरुप हस्ताक्षर करेगा। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शायेगें कि निविदादाता ने सभी शर्तो को पढ़ लिया हैं एवं समझ लिया हैं। अतः निविदादाता को चाहिए की सभी शर्तो को पढ़कर समझ ले। यदि किसी भी प्रकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में परियोजना निदेशक/वित्तिय सलाहकार एनआरएचएम से मिलकर प्राप्त कर सकते हें।

13. बयाना (Earnest Money) का समपहरण (Forefiting) निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा।

1. जब निविदादाता निविदा खोलने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृती के पूर्व निविदा वापस ले लेता हैं या प्रस्ताव को (मोडिफिकेशन) रुपान्तिरित करता हैं।
2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हैं।
3. जब आदेश दिए जाने के पश्चात् नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हैं।
4. जब निर्धारित समय में अनुबन्धित कार्मिको की व्यवस्था करने में विफल रहता हैं।

14. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 500/– रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मिशन द्वारा निर्धारित प्रारुप में अनुबन्ध करना पड़ेगा। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबन्धकर्त्ता को कार्मिकों को देय एक माह के पारिश्रमिक की राशि के बराबर की राशि बतौर प्रतिभूति राशि के रुप में राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाइटी, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/बैंक गारंटी के रुप में जमा करानी पड़ेगी जो अनुमानतः 3.0 लाख रूपये होगी। यह राशि अनुबन्ध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने पर दो माह उपरान्त वापिस लौटा दी जाएगी इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। बयाना राशि को इसमें समायोजित कराया जा सकता हैं।

15. करार पत्र पूर्ण किए जाने तथा स्टॉम्प पेपर के व्यय का निविदादाता द्वारा भुगतान किया जाएगा और एनआरएचएम को करार का स्टॉम्प युक्त प्रतिलेख निशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

16. जो कम्प्यूटर मय ऑपरेटर लगाए जाएगें उन्हे राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनआरएचएम) के कार्यालय में प्रातः 09:30 बजे उपस्थित होना होगा एवं सांयकाल 06:00 बजे तक या कार्य पूर्ण होने तक रुकना होगा।

17. सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले (कार्मिक) आपरेटर्स को मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम एवं इनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशानुसार कार्यालय में कार्य करना होगा।

18. यदि सेवा संबन्धित कार्य हेतु आपरेटर्स की सेवाओं की उक्त समय से पूर्व या पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पड़ती हैं तो उन्हें तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिए मिशन द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

19. सेवा प्रदान करने वाले ऑपरेटर्स का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो मिशन निदेशक (एन0आर0एच0एम0) या उसके निर्दिष्ट अधिकारी के निर्देश पर सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था को

तत्काल उसके स्थान पर समकक्ष योग्यताधारी एवं अनुभवी अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।

20. सेवा आपूर्तकर्त्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑपरेटर्स का चाल–चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके कार्य / चरित्र के संबंध में निविदादाता पूर्ण उत्तरदायी होगा। उपलब्ध कराये गये ऑपरेटर्स को सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर पहचान पत्र (आई.डी.) देना होगा। ताकि मिशन को सेवाकर्मी के बारे में ज्ञान रहे।

21. सेवा आपूतिकर्त्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाए तो उसे उपस्थित होना होगा। उपस्थित नहीं होने पर अनियमितता मानी जावेगी।

22. उपलब्ध कराये गए ऑपरेटर्स में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था का होगा। ज़मा की गई बयाना राशि से एनआरएचएम वसूली कर लेगा।

23. अनुबन्ध से पूर्व निविदादाता द्वारा सेवाओं के उक्त पदों हेतु उपयुक्त अभ्यार्थियों की सूची (योग्यता एवं अनुभव अंकित करते हुए) प्रस्तुत करनी होगी। जिन ऑपरेटर्स हेतु एनआरएचएम द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी उन व्यक्तियों की ही सेवाएं अनुबंधकर्त्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

24. अनुबन्धकर्त्ता फर्म को दिया गया कॉन्ट्रेक्ट, वह किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नहीं सौंप सकेगा अर्थात् सबलेट नहीं कर सकेगा।

25. अनुबंध प्रारम्भ में सिर्फ पाँच माह के लिए एवं परियोजना की अवधि 31 मार्च, 2012 से बढ़ने की स्थिति में एक वर्ष के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे आपसी सहमति से अधिकतम छः माह तक बढ़ाया जा सकेगा।

26. I. फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबंधकर्त्ता फर्म द्वारा मिशन को लिखित में दी जाएगी किन्तु उन परिस्थितियों में भी विभाग से हुए अनुबन्ध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबन्धकर्त्ता को विमुक्त नहीं किया जा सकेगा।

II. संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रुप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वे संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रुप से उन्मुक्ति (डिस्जार्च) होगी।

27. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा प्रतिदिन समय पर व्यक्तियों (कार्मिकों) के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में अनुपस्थित दिनों का पारिश्रमिक अनुपातिक रुप से काट लिया जाएगा तथा तीन दिवस तक लगातार अनुपस्थित रहने पर पारिश्रमिक की कटौती साथ ही दस प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त कटौती होगी। विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कहीं से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता हैं तो इस हेतु किए गए अधिक भुगतान की वसूली निविदादाता से की जाएगी।

28. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा एनआरएचएम को उपलब्ध करायी गई कार्मिकों की सेवाओं का बिल प्रत्येक माह की तीन तारीख तक मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

29. सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए (कार्मिकों) व्यक्तियों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था को ही दिया जाएगा।

30. उपलब्ध कराये गए व्यक्तियों (कार्मिकों) को पूर्ण भुगतान का दायित्व सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था का होगा। उक्त कार्मिकों को भुगतान की गई राशि से आयकर टी.डी.एस. काटने का दायित्व आपूर्तिकर्त्ता संस्था का होगा।

31. टी.डी.एस. आयकर/अन्य कर की राशि प्रदाता मासिक बिल में काटकर नियमानुसार जमा कराई जाएगी तथा जिसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र में एनआरएचएम द्वारा सेवाप्रदाता को दी जाएगी।

32. प्रतिभूति राशि का निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकता हैं।

1. जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को उल्लंघन किया जाता हैं।
2. जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से सेवाएं देने में विफल रहता हैं।
3. प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में मिशन का निर्णय अन्तिम होगा।

33. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिको की व्यवस्था / उनका कार्य, व्यवहार, चरित्र एनआरएचएम की अपेक्षा अनुरुप संतोषजनक न होने की स्थिति में एनआरएचएम को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को किसी भी समय समाप्त कर दें।

34. उपलब्ध कराए गए कार्मिको की पी.एफ/ई.एस.आई कटौती, बीमा एवं श्रमिक अधिनियम की पालना करने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

35. उपलब्ध कराये गये ऑपरेटर्स की सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

36. ऑपरेटर्स के मासिक भुगतान की राशि उनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर आपुर्तिकर्ता फर्म को मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रुप से कार्य संपन्न किए जाने पर चैक से अदा की जावेगी तथा वसूलियां, यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जाएगा।

37. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. का निर्णय अन्तिम होगा।

38. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (एनआरएचएम व निविदादाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत की जाएगी।

39. आपूर्ति किए गये सभी कार्मिक निविदादाता के 'पे रोल' पर होंगे तथा राज्य सरकार/एनआरएचएम में नियुक्ति का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। यह सभी ऑपरेटर्स को सूचित करने का दायित्व निविदादाता संस्था का होगा।

40. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर में अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।

41. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेंगे कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।

42. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

43. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर कार्य बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह आपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण होतो देय राशि में से प्रतिदिन 200/– रूपये की कटौति की जावेगी।

44. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो यह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।

45. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत्त स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

46. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त किया जा सकेगा।

47. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

48. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।

49. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डी.डी. से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

50. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
(मय नाम, पूरा पता एवं रबर स्टाम्प सहित)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक प.1(4)वित्त/नियम/2011 जयपुर,दिनांक 17 JUN 2011

: परिपत्र :

विषयः– वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

सेवा नियमों की अनुसूची में सम्मिलित पदों पर संविदा नियुक्ति नहीं किए जाने के सम्बन्ध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिक, कम्प्यूटर मय ऑपरेटर तथा एजेन्सी के माध्यम से संविदा सेवाएं लिए जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। परिपत्र दिनांक 29.04.2011 के कियान्वयन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो और राजकीय कार्य के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न नहीं हो, को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है : –

1. कार्मिक विभाग के ज्ञापन संख्या प.17(10)कार्मिक/ए–।।/94 दिनांक 31.10.1995 एवं समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार राजकीय विभागों में रिक्त पदों के विरूद्ध सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा पर सेवाएं ली जा सकेंगी।
2. राजकीय विभागों में सैनिक कल्याण विभाग के परिपत्र प. 8 (1) सै.क./2003–31 दिनांक 17.04.2008 के अनुसार रिक्त पदों के विरूद्ध सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर भूतपूर्व सैनिकों की सुरक्षा प्रहरी, सुपरवाइजर, सहायक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, लिपिक, वाहन चालक, प्लम्बर, पैंटर, कारपेन्टर, वेल्डर, ब्लेकस्मिथ की सेवाएं निर्धारित शर्तों एवं पारिश्रमिक दरों पर ली जा सकेंगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समितियों से केवल भूतपूर्व सैनिकों की ही सेवाएं ली जा सकेंगी।
3. राजकीय विभागों में कम्प्यूटर किराए पर लिए जाने के सम्बन्ध में वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.9(1)वित्त–1(1) बजट/2004 दिनांक 28.07.2008 की शर्तों के अनुसार कम्प्यूटर मय आपरेटर की सेवाएं केवल एजेन्सी के माध्यम से संविदा आधार पर ली जा सकेंगी। व्यक्तिगत संविदा के आधार पर कम्प्यूटर मय आपरेटर की सेवाएं नहीं ली जा सकेंगी।
4. (i) परियोजनाओं (**Projects**) हेतु यथा संभव विभिन्न विभागों से कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर तथा सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जा सकता है। परियोजनाओं के पदों को प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत कार्मिकों से भरने हेतु संबंधित विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जावे, ताकि वांछित योग्यताधारी कार्मिक उपलब्ध हो सकें।

   (ii) यदि परियोजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु उक्त बिन्दु संख्या (i) के अन्तर्गत कार्य कराया जाना संभव नहीं हो तो कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से **Job basis** पर कार्य कराया जा सकता है। किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत (**Individual**) अथवा सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से व्यक्तियों की सेवाएं अनुबन्धित नहीं की जा सकेंगी।

(सी.के.मैथ्यू)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतियों सहित)।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर (मय 100 प्रतियाँ उप कोषाधिकारियों के लिए)।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
13. विधि रचना संगठन अंग्रेजी अनुवाद के लिए।
14. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग।
15. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर, 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित (अधीनस्थ विधायन समितियों के लिए)।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(पी.एन. शर्मा)
विशेषाधिकारी

(आर.एस.आर.–18 /2011)

D:\Notaorder-Rules.doc